वन्य प्राणी विंग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2023–24

उद्देश्य

वन्य प्राणी विंग का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक सन्तुलन को बनाए रखने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास करना है। इस वर्ष के दौरान वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम लागू रहे। भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1972 में वर्ष 2022 काफी बदलाव कर दिये गये है जो कि 01.04.2023 लागू किया जायेगा। वन्य जीव अधिनियम 1972 वन्य जीवों से सम्बन्धित शेडयूल में बदलाव किये गये है।

मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, हरियाणा, पंचकूला अपने अधीनस्थ स्टाफ की सहायता से वन्य प्राणियों के संरक्षण तथा उनके आश्रय स्थलों के विकास के लिए हरियाणा राज्य में उत्तरदायी रहे।

गतिविधियां

1. शिकार सम्बन्धी

वर्ष के दौरान राज्य में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम 1974 को सख्ती से लागू किया गया। वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में हुये संशोधनों के फलस्वरूप इसके अन्तर्गत 1974 में बनाये गए नियमों में भी संशोधन का प्रस्ताव सरकार को भेजा हुआ है । वर्ष के दौरान राज्य में पकड़े गये केसों तथा उनके निपटान का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहा :–

(क) विभागीय कार्य

1.	वर्ष के आरम्भ में केस	13
2.	वर्ष के दौरान पकड़े गये केस	123
3.	कुल केस	138
4.	वर्ष के दौरान विभिन्न अदालतों में दायर किए गये केस	10
5.	वर्ष के दौरान विभागीय तौर पर निपटाए गये केस	110
6.	मुआवजा की राशि जो वसूल की गई (रुपये)	428550
7.	वर्ष के अन्त में केस	21

(ख) अदालती कार्य

1.	अदालत में पिछले वर्ष के बकाया केस	47
2.	अदालत में नये दायर किए गये केस	10
3.	कुल केस	57
4.	वर्ष के दौरान अदालत द्वारा निपटाए गये केस	3
5.	वर्ष के अन्त में अदालत में बकाया केस	54
6.	अदालत द्वारा जुर्माना किया (रुपये)	

गत पांच वर्षों का शिकार सम्बन्धी केसों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.स.	केसों का विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2023–24
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया केस	194	194	204	198	13
2.	वर्ष के दौरान पकड़े गए केस	298	361	298	271	125
3.	अदालत में दायर किये गये नये केस	5	9	7	14	2
4	वर्ष के दौरान विभागीय तौर पर निपटाए गए केस	293	342	297	251	110
5	मुआवजा की राशि जो वसूल की गई (रुपये)	759000	815500	764800	568100	428550
6	वर्ष के अंत में बकाया केस	194	204	198	204	36
7	अदालत में पिछले बकाया केस	40	34	35	39	8
8	वर्ष के दौरान विभिन्न अदालतों में दायर किए गये केस	5	9	7	14	2
9	अदालत द्वारा निपटाए गए केस	11	8	3	6	0
10	वर्ष के अन्त में अदालत में बकाया केस	34	35	39	47	24
11	अदालत द्वारा वसूल किया गया जुर्माना (रुपये)	66000	41000	0	0	0

2. **राजस्व**

वन्य प्राणी विंग का मुख्य कार्य वन्य प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ–2 उनका विकास करके प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सहयोग देना है। अतः वन्य प्राणी विंग से राजस्व का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। फिर भी वर्ष के दौरान इस विंग का राजस्व 84.42 लाख रुपये रहा।

जन साधारण व स्कूलों के छात्र–छात्राओं को वन्य प्राणियों में रूचि पैदा करने के लिए राज्य में स्थापित किए गए राष्ट्रीय उद्यान तथा चिड़ियाघरों से एन्ट्री फीस के रूप में प्राप्त राजस्व का गत पांच वर्षों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	कुल राजस्व (रुपये)
2019–20	66,23,859
2020–21	16,40,891
2021–22	25,49,603
2022–23	69,51,854
2023–24	84,42,000

3. **वित्तिय वर्ष 2023–24**

इस विंग का प्लान खर्चा 2944.00 लाख रुपये रहा, जिसमें 226.74 लाख रुपये केन्द्रीय खर्चा रहा।

4. **प्लान योजनाएं**

प्लान योजनाएं वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्लान स्कीमें क्रियान्वित कीः–

क्र.स.	स्कीम का नाम	ऑरिजनल ग्रांट (रुपये लाखों में)	रिवाईज़ड ग्रांट (रुपये लाखों में)	कुल खर्चा (रुपये लाखों में)
1	हैड क्वार्टर स्टाफ	1790.10	1363.63	1291.94
2	फिजैण्ट ब्रीडिंग सैन्टर, मोरनी	25.37	18.76	16.51
3	प्रोटैक्शन ऑफ वाईल्ड लाईफ इन मल्टीपल यूज एरियाज	143.33	93.08	82.85
4	काला तीतर कॉम्पलैक्स अबूबशहर का विकास	31.76	30.15	28.65
5	चौबीसी का चबूतरा मैहम का विकास	24.82	22.57	21.87
6	नाहड़ वन्य प्राणी विहार का विकास	11.16	8.00	7.26

7	प्रोटैक्शन ऑफ वाईल्ड लाईफ इन मल्टीपल यूज एरियाज।	1000.00	691.30	639.47
8	एक्सटैनशन ऑफ जू एण्ड डियर पार्क	800.00	654.00	628.71
9	स्ट्रैन्थनिंग, एक्सपैंशन एण्ड इम्प्रूवमैंट ऑफ वाईल्ड लाईफ सैन्चूरीज एण्ड नैशनल पार्कस।	60.00	60.00	43.50
10	ईन्टीग्रेटीड डिवैलपमैट आफ वाईल्ड लाईफ हैबिटेट	600.00	460.00	183.24
11	कन्जरवेशन एवं मैनेजेमैन्ट ऑफ वैटलैझड इन हरियाणा	500.00	350.00	0.00
	कुल योग	**4986.54**	**3751.49**	**2944.00**

उपरोक्त प्लान स्कीमों के अन्तर्गत फिजैण्ट ब्रीडिंग सैन्टर, मोरनी एवं बेरवाला, बर्ड सफारी, बेरवाला लघु चिड़ियाघरों, भिवानी, रोहतक व पिपली का रख–रखाव किया गया। इसमें राष्ट्रीय उद्यानों/वन्य प्राणी विहारों, संरक्षण आरक्षः, गिद्ध प्रजनन केन्द्र तथा हाथी पुनर्वास केन्द्र का रख–रखाव किया गया।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

क्र.स.	स्कीम का नाम	ऑरिजनल ग्रांट (रुपये लाखों में)	रिवाईज़ड ग्रांट (रुपये लाखों में)	कुल खर्चा (रुपये लाखों में)
1	स्ट्रैन्थनिंग, एक्सपैंशन एण्ड इम्प्रूवमैंट ऑफ वाईल्ड लाईफ सैन्चूरीज एण्ड नैशनल पार्कस।	60.00	60.00	43.50
2	ईन्टीग्रेटीड डिवेलपमैंट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबिटेट	600.00	460.00	183.24
3	कन्जरवेशन एवं मैनेजेमैन्ट ऑफ वैटलैझड इन हरियाणा	500.00	350.00	0.00
	कुल योग	**1160.00**	**870.00**	**226.74**

5. राष्ट्रीय उद्यान, वन्य–प्राणी विहार तथा संरक्षण आरक्षणः

राज्य के वन क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अन्तर्गत आता है। राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य–प्राणी विहार, 2 संरक्षण आरक्षः व 5 सामुदायिक आरक्षिति क्षेत्र है। वर्ष के दौरान वन्य प्राणियों की सुरक्षा, संर्वधन तथा बढ़ोतरी के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण साधन के रूप में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य–प्राणी विहार, संरक्षण आरक्षः व सामुदायिक आरक्षिति क्षेत्र राज्य में स्थापित रहे :–

राष्ट्रीय उद्यान

राष्ट्रीय उद्यान का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)	पाये जाने वाले पशु पक्षी
1. कलेसर	यमुनानगर	08.12.2003	11570.00	तेंदुआ, भालू, साम्भर, गोरल, कक्कड़ तथा जंगली सुअर
2. सुलतानपुर	गुरुग्राम	05.07.1991	352.17	स्थानीय पक्षी तथा प्रवासी जल पक्षी, बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
कुल क्षेत्र			**11922.17**	

वन्य–प्राणी विहार

वन्य–प्राणी विहार का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)	पाये जाने वाले पशु पक्षी
1. भिण्डावास	झज्जर	07.05.1986	1016-94	बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
2. छिलछिला	कैथल	28.11.1986	71-45	बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
3. नाहड़	रेवाड़ी	30.01.1987	522-25	काला हिरण, नील गाय, काला तथा भूरा तीतर आदि
4. बीड़ शिकारगाह	पंचकूला	29.05.1987	1896-00	चीतल, जंग ली सुअर व जंगली मुर्गा आदि
5. खापड़वास	झज्जर	27.03.1991	204-36	बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
6. कलेसर	यमुनानगर	13.12.1996	13209-00	तेन्दुआ, भालू, साम्भर, गोरल, कक्कड़, जंगली सुअर, भूरा तीतर आदि
		13.01.2000	222-65	
7. मोरनी हिल्ज (खोल–हाय–रायतन)	पंचकूला	10.12.2004	5501-88	तेन्दुआ, भालू, साम्भर, गोरल, कक्कड़, जंगली सुअर, भूरा तीतर आदि
		07.09.2007	6563-93	
कुल क्षेत्र			29208-46	

संरक्षण आरक्षित क्षेत्रः

संरक्षण आरक्षित क्षेत्रः का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)	पाये जाने वाले पशु पक्षी
1. सरस्वती	कैथल	11.10.2007	11003.00	काला हिरण, पाड़ा, हिरण व जंगली सुआर आदि
2. बीड बडा वन	जीन्द	11.10.2007	1036.00	नील गाय, बन्दर तथा खरगोश आदि
कुल क्षेत्र			**12039.00**	

सामुदायिक आरक्षिति

वन्य–प्राणी सामुदायिक आरक्षिति	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)	पाये जाने वाले पशु पक्षी
1. गोल्डन जुबली ब्रहम सरोवर सामुदायिकी आरक्षित	कुरूक्षेत्र	19.07.2017	89.368	बतखें, बगुले, स्टार्क्स तथा पानी के अन्य पक्षी
2. अबूबशहर सामुदायिक आरक्षिति	सिरसा	14.03.2018	28492	काला हिरण, मोर आदि

3.	गुरू गोरखनाथ सामुदायिकी आरक्षित	फतेहाबाद	27.05.2019	7.91	—सम—
4.	शहिद अम्रिता देवी मैमोरियल सामुदायिकी आरक्षित	फतेहाबाद	27.05.2019	24.14	—सम—
5.	सिरी गुरू जम्भेश्वर सामुदायिकी आरक्षित	फतेहाबाद	27.05.2019	12.157	—सम—
	कुल क्षेत्र			**28625.56**	

6. लघु चिड़ियाघर, हिरण पार्क एवं प्रजनन केन्द्रो की स्थापना क्षेत्र व उसमें पाए जाने वाले पशु—पक्षियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

लघु चिड़ियाघर

चिड़ियाघर का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)	पाये जाने वाले पशु पक्षी
1. भिवानी	भिवानी	1982—83	10.97	दरियाई घोड़ा, तेन्दुआ, भालू, चीतल, साम्भर, चिंकारा, बन्दर, खरगोश, मगरमच्छ व पक्षी आदि
2. पिपली	कुरूक्षेत्र	1985—86	27	शेर, काला हिरण, बन्दर, खरगोश, घड़ियाल व पक्षी आदि
3. रोहतक	रोहतक	1985—86	41 एकड 2 कनाल 7 मरला	शेर, तेन्दुआ, काला हिरण, बन्दर, खरगोश, घड़ियाल व पक्षी आदि

हिरण पार्क

हिरण पार्क का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)	वन्य प्राणियों की मुख्य प्रजातियां
1. धांसू	हिसार	1985	42	काला हिरण, नील गाय व चीतल आदि

प्रजनन केन्द्र

प्रजनन केन्द्र का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)	वन्य प्राणियों की मुख्य प्रजातियां
1. चिंकारा कैरू	भिवानी	1985—86	128.44	चिंकारा
2. मगरमच्छ भौर सैयदां	कुरूक्षेत्र	1981—82	16.00	मगरमच्छ
3. फीजैंट मोरनी	पंचकूला	1991—92	2.50	लाल जंगली मुर्गा व कलीज
4. गिद्ध प्रजनन केन्द्र, पिंजौर	पंचकूला	2001	5.00	गिद्ध
5. मोर व चिंकारा झाबुआ	रेवाड़ी	2011	80.00	मोर व चिंकारा

7. लघु चिडियाघर

वन्य प्राणियों के प्रति समझ, ज्ञान व प्यार पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में स्थापित पिपली (कुरूक्षेत्र), भिवानी तथा रोहतक चिड़ियाघरों की देखरेख की गई।

8. फीजैन्ट प्रजनन केन्द्र

मोरनी व बेरवाला में दो फीजैन्ट प्रजनन केन्द्र है। मोरनी व बेरवाला केन्द्र में वित्तिय वर्ष 2023–24 में पक्षियों की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

लाल जंगली मुर्गा की लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के लिए बेरवाला में प्रजनन केन्द्र सीापित किया गया। बाम्बे नैचुरल हिस्ट्री की सहायता से लाल जंगली मुर्गे, कलिज फिजेंट व हिल मैना की लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से प्रजनन का कार्य आरंभ किया गया है और उनके सुझाव अनुसार बेरवाला व मोरनी में रखे गये कुछ लाल जंगली मुर्गे, कलिज फिजेंट व हिल मैना को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा जंगल में रिलीज किया गया तथा शेष को लघु चिड़ियाघर पिपली में स्थानान्तरित कर दिया गया।

9. बर्ड सफारी

पंचकूला–मोरनी रोड़ पर 250 हैक्टेयर क्षेत्र में बर्ड सफारी स्थापित है जो वन्य प्राणियों के बारे दर्शकों के ज्ञान मे वृद्धि करता है जिसका वर्ष दौरान रख रखाव किया गया।

10. मोर एवं चिंकारा ब्रिडिंग केन्द्र

राज्य में मोर एवं चिंकारा ब्रिडिंग केन्द्र की स्थापना 18.04.2010 को माननीय वन, पर्यटन एंव वित्त मंत्री, हरियाणा सरकार के कर कमलों द्वारा झाबुआ जिला रेवाड़ी में की गई। इस केन्द्र में मोर एवं चिंकारा का प्राकृतिक ढंग से प्रजनन किया जा रहा है। केन्द्र में वित्तिय वर्ष 2023–24 में पक्षियों की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

क0सं0	पक्षी का नाम	नर	मादा	बच्चे	कुल
1	मोर	14	22	**27**	**63**
2	चिंकारा	19	42	**03**	**64**
कुल		**33**	**64**	**30**	**127**

मोर एवं चिंकारा ब्रिडिंग केन्द्र में वर्ष 2023–24 में रूपये 14.29 लाख खर्च हुये।

11. लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केन्द्र बेरवाला व मोरनी

लाल जंगली मुर्गा की लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के लिए बेरवाला में प्रजनन केन्द्र स्थापित किया गया। बाम्बे नैचुरल हिस्ट्री की सहायता से लाल जंगली मुर्गे की लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से प्रजनन का कार्य आरंभ किया गया है और उनके सुझाव अनुसार बेरवाला व मोरनी मे रखे गये लाल जंगली मुर्गो को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा जंगल मे रिलीज किया गया।

12. गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र

पर्यावरण को साफ–सुथरा रखने में गिद्धों का बड़ा भारी योगदान है क्योंकि ये मरे हुए मवेशियों को खाकर पर्यावरण में दुर्गंध तथा बीमारी फैलने से बचाते है। गिद्धों की कम होती संख्या को बढ़ाने हेतू हरियाणा में बाम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से पिंजौर के नजदीक गिद्धों की सुरक्षा व पुर्नवास के लिए वन विभाग के साथ मिलकर एक गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र की बीड़ शिकारगाह, जिला पंचकूला में स्थापना की गई है। यह देश का

अपनी तरह का पहला गिद्ध प्रजनन केन्द्र है। गिद्ध प्रजनन प्रोजैक्ट का कार्यकाल 15 वर्ष का है जो कि अक्टूबर 2034 तक का है। वित्तिय वर्ष 2023–24 में इस केन्द्र में गिद्धों की स्थिति निम्न प्रकार से है:–

Sr. No	Species of Vulture	Male	Female	Young Ones	Total
1	White backed	39	31	2	**72**
2	Long billed	104	102	12	**118**
3	Slender billed	32	30	0	**62**
	Total	**175**	**163**	**14**	**252**

भारत सरकार के माध्यम से उक्त केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के अन्तर्गत विकास कार्य करवाये जा रहे है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस परियोजना पर कुल 183.2425 लाख रूपये की राशि खर्च की गई है।

13. हाथी पुनर्वास केन्द्र

SOS व वन एवं वन्य जीव विभाग के मध्य हुए एग्रीमैंट के अनुसार बनसंतौर में हाथी पुर्नवास केन्द्र का निर्माण किया गया था। इस पुर्नवास केन्द्र में हाथियों के मैडिकल चैकप व इलाज के लिए 3 न0 पैन व 10 नं0 शैड बनाये गये है, जिसमें 20 हाथी रखने की व्यवस्था है। इस समय 5 मादा हाथी मौजूद है। वर्ष के दौरान 5 हाथियों की देखभाल का कार्य किया गया है और हाथी पुर्नवास केन्द्र बनसंतौर के चारो ओर लगी सोलर फैन्स की रिपेयर का कार्य करवाया गया।

नर	मादा	कुल
0	4	**4**

वर्ष 2023–24 में उक्त प्रोजेक्ट पर 43.50 लाख की राशि खर्च की गई है ।

14. विंग का पद भार

वर्ष के दौरान वन्य प्राणी विंग का कार्यभार निम्नलिखित अधिकारियों के पास रहा:–

क0सं0	अधिकारी का नाम व पद	अवधि
1.	श्री पंकज गोयल, भा0व0से, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, हरियाणा, पंचकूला।	01.04.2023 से 07.02.2024
2.	श्री विनित कुमार गर्ग, भा0व0से, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, हरियाणा, पंचकूला।	07.02.2024 से 31.03.2024
3.	श्री एम0एस0 मलिक, मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरुग्राम।	01.04.2023 से 31.03.2024

4.	श्री एम0एल0 राजवंशी, भा0व0से0 मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), पंचकूला।	01.04.2023 से 31.10.2023
4.	श्री अतुल सिरसीकर, भा0व0से0 मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), पंचकूला।	01.11.2023 से 31.03.2024
5.	श्री प्रश ाान्त शर्मा, ह0व0से0, मुख्यालय, कार्या0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, हरियाणा, पंचकूला।	07.07.2023 से 31.03.2024
6.	श्री श्याम सुन्दर, उप मुख्य वन्य जीव वार्डन, पंचकूला।	01.04.2023 से 31.07.2023
7.	श्री राजेन्द्र प्रसाद, मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, गुरूग्राम।	01.08.2023 से 31.03.2024
8.	श्री राजीव तेजयान, भा0व0से0 मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, गुरूग्राम।	06.03.2024 से 06.03.2024
9.	श्री राजेश ा कुमार, (current duty charge) मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, गुरूग्राम।	07.03.2024 से 31.03.2024
10.	श्री राजीव गर्ग, मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, हिसार	21.04.2023 से 19.10.2023
11.	श्री विरेन्द्र कुमार, ह0व0से0 मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, हिसार।	20.10.2023 से 31.03.2024
12.	श्री शिव सिंह, ह0व0से0 मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, रोहतक	01.04.2023 से 31.10.2023
13.	श्री राजीव गर्ग, मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, रोहतक	01.11.2023 से 31.03.2024

15. नियुक्तियां:–

इस विंग द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान कोई भी नियुक्ति नही हुई है।

16. मृत्यु :–

वर्ष 2023–24 के दौरान वन्य प्राणी विंग से अधिकारी/कर्मचारी कि मृत्यु नही हुई है।

17. सेवा निवृति

वर्ष 2023–24 के दौरान वन्य प्राणी विंग से अधिकारी/कर्मचारी जो सेवा निवृत हुए :–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पद	सेवा निवृति की तिथि
1.	श्री शिव सिंह	मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी	31.10.2023
2.	श्री दाना	श्रमिक	30.09.2023
3.	श्री वजीर सिंह	कीपर	31.10.2023

18. प्रशिक्षण :–

वर्ष 2023–24 के दौरान दिनांक 01.05.2023 से 31.07.2023 तक वानिकी प्रशिक्षण संस्थान सोहना गुरूग्राम द्वारा वन्य जीव रक्षकों का प्रशिक्षण रखा गया जिसमें वन्य जीव मण्डल गुरूग्राम के अधीन वन्य जीव रक्षक श्री तिकराज, श्री विक्रम तथा श्री निलेश, श्री सचिन त्यागी को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु भेजा गया।

दिनांक 15.11.2023 से 30.04.2024 तक श्री रणबीर, श्री नवीन कुमार व श्री रजनेश, वन्य जीव रक्षक द्वारा वानिकी प्रशिक्षण संस्थान सोहना गुरूग्राम में प्रशिक्षण लिया गया।

Mission Karamyogi Haryana (Phase II) के अंर्तगत HIPA द्वारा आयोजित Workshop दिनांक 21.12.2023 में श्री विरेन्द्र, श्रीमिक, श्री संदीप भुक्कर, कीपर तथा श्री मुबिन, पी0सी0सी0 द्वारा Training में भाग लिखा गया।

दिनांक 18.01.2024 को HIPA द्वारा आयोजित Workshop जिसमें वन्य जीव विंग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।

19. प्रचार :–

वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह 1 अक्तूबर 2023 से 08 अक्तूबर 2023 तक मनाया गया तथा राज्य स्तरीय समारोह दिनांक 06.10.2023 को कलेसर यमुनानगर में मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री कंवर पाल जी माननीय वन मत्रीं, हरियाणा, सरकार थे। इस सप्ताह के दौरान वन्य जीवों के संरक्षण से सम्बन्धित पोस्टर पर मुख्य मंत्री महोदय की अपील के पोस्टर छपवाकर मुख्य स्थानों पर लगवाये गये तथा जन–जन तक संदेश पहुचाने के हेतू मुख्य मंत्री महोदय की अपील को विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया गया। इसके अतिरिक्त मण्ड़ल में आम जनता को वन्य जीवों के संरक्षण व वन्य जीव से होने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए पैम्पलैटस एवं स्टीकर्स इत्यादि वितरित किये गये तथा लोगो को वन्य जीव के संरक्षण में सरकार का सहयोग करने की अपील की गई। किसान भाईयों से भी अनुरोध किया गया कि फसलों पर कीटनाशको का कम कम प्रयोग करें ताकि वन्य जीव को कोई नुकशान न हो। किसान भाईयो को बताया गया कि धरा पर प्राकृतिक सन्तुलन कायम रखने के लिए हर हालत में वन्य जीव का संरक्षण व संवर्द्धन करना है। ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्या

है। वन्य जीव की संख्या मे आई गिरावट बारे तीन प्रमुख कारण हैः– पहला–वास–स्थलों की कमी, दूसरा–पर्यावरण प्रदूषण और तीसरा–वन्य जीव प्राणियो को अवैध व्यापार। इन कारणो से वन्य जीव की अनेकों प्रजातियां लुप्त हो चुकी है और कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। प्रकृति में खाद्य–श्रृंखला के ताने–बाने को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक पेड़–पौधे और जीव–जन्तुओं की प्रजातियों का अस्तित्व कायम रहे और इनकी संख्या समुचित अनुपात में रहे। किसान भाईयों से अनुरोध किया कि वे जंगलों मे ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़–पौधे लगाएं तथा वनों की सघनता बढ़ाएं। जंगल में वन्य जीव के लिए पानी की उचित व्यवस्था करने में विभाग की मदद भी करें। जिससे वन्य जीव को भोजन और पानी जंगल के अन्दर ही उपलब्ध हो जाए और वह आवासीय क्षेत्रों की तरफ भटक कर ना आए। सभी से अनुरोध किया कि वे वन्य जीव के संरक्षण व संवर्द्धन का संकल्प लें और ज्यादा से ज्यादा पेड़–पौधे लगाएं ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण और समुचित प्राकृतिक सन्तुलन दे सकें।

वन मण्डल अधिकारी, मुख्यालय, वन्य जीव
कृते : प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
हरियाणा, पंचकुला।

वन्य जीव विंग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2023–24 की समीक्षा

प्रशासन :–

वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम वर्ष भर राज्य के अधीनस्थ जिलों में लागू रहे । जिन पर नियन्त्रण मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), पंचकूला व गुरूग्राम तथा उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पंचकूला, मण्डलीय वन्य जीव अधिकारी, रोहतक, गुरूग्राम व हिसार अपने अधीनस्थ स्टाफ की सहायता से वन्य प्राणी प्रबन्धों एवं उनके संरक्षण के लिए प्र0मु0वं0सं0 एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, हरियाणा, पंचकूला के उत्तरदायी रहे।

संरक्षण कार्यः–

राज्य भर में शिकार पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहा। वन्य प्राणी मण्डलों, पंचकूला, रोहतक, गुरूग्राम व हिसार का वन तथा वन के बाहरी क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्य प्राणियों का संवर्धन, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों को लागू करना मुख्य कार्य रहा।

डिटैक्शन कार्य :–

1.	वर्ष के आरम्भ में केस	13
2.	वर्ष के दौरान पकड़े गये केस	125
3.	कुल केस	138
4.	वर्ष के दौरान विभिन्न अदालतों में दायर किए गये केस	10
5.	वर्ष के दौरान विभागीय तौर पर निपटाए गये केस	110
6.	मुआवजा की राशि जो वसूल की गई (रुपये)	428550
7.	वर्ष के अन्त में केस	21

प्रोसीक्यूशन कार्य :–

1.	अदालत में पिछले वर्ष के बकाया केस	47
2.	अदालत में नये दायर किए गये केस	10
3.	कुल केस	57
4.	वर्ष के दौरान अदालत द्वारा निपटाए गये केस	03
5.	वर्ष के अन्त में अदालत में बकाया केस	54
6.	अदालत द्वारा जुर्माना किया (रुपये)	0

राजस्व

वन्य जीव विंग का मुख्य कार्य वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना तथा इनके आश्रय स्थलों का विकास करना है ताकि प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखा जा सके। अतः वन्य जीव विंग के खर्चे की तुलना राजस्व से करना उचित नहीं होगा। फिर भी वर्ष के दौरान इस विंग का कुल राजस्व 69.52 लाख रूपये रहा।

वित्त

वन्य जीव विंग का वर्ष 2023—24 का कुल प्लान का खर्चा 2944.00 लाख रूपये रहा। इसमें केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के तहत 226.74 लाख रुपये खर्चा रहा।

राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी विहार, संरक्षण आरक्ष व सामुदायिक आरक्षिति क्षेत्र :

वर्ष के दौरान राज्य में वन्य प्राणियों की लुप्त हो रही प्रजातियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य विहार एवं संरक्षण आरक्षः स्थापित रहेः—

राष्ट्रीय उद्यान

1. सुलतानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिला गुरूग्राम ।
2. कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जिला यमुनानगर।

वन्य प्राणी विहार

1. कलेसर वन्य प्राणी विहार, जिला यमुनानगर।
2. बीड शिकारगाह वन्य प्राणी विहार, जिला पंचकूला।
3. छिलछिला वन्य प्राणी विहार, जिला कैथल।
4. खोल हाय—रत्न वन्य प्राणी विहार, जिला पंचकूला।
5. नाहड़ वन्य प्राणी विहार, जिला रेवाड़ी।
6. खापड़वास वन्य प्राणी विहार, जिला झज्जर।
7. भिण्डावास वन्य प्राणी विहार, जिला झज्जर।

वन्य प्राणी संरक्षण आरक्षण :

1. सरस्वती संरक्षण आरक्षः, जिला कैथल।
2. बीड़ बड़ा वन, जीन्द संरक्षण आरक्षः, जिला जीन्द।

सामुदायिक आरक्षिति क्षेत्र, :

1. गोल्डन जुबली ब्रहम सरोवर सामुदायिकी आरक्षित, जिला कुरूक्षेत्र।
2. अबूबशहर सामुदायिक आरक्षिति, जिला सिरसा।
3. गुरू गोरखनाथ सामुदायिकी आरक्षित, जिला फतेहाबाद।
4. शहिद अम्रिता देवी मैमोरियल सामुदायिकी आरक्षित, जिला फतेहाबाद।
5. सिरी गुरू जम्भेश्वर सामुदायिकी आरक्षित, जिला फतेहाबाद।

प्रचार :–

वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह 1 अक्तूबर 2022 से 08 अक्तूबर 2022 तक मनाया गया तथा राज्य स्तरीय समारोह दिनांक 06.10.2023 को छछरौली यमुनानगर में मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री कंवर पाल जी माननीय वन मत्रीं, हरियाणा, सरकार थे। इस सप्ताह के दौरान वन्य जीवों के संरक्षण से सम्बन्धित पोस्टर पर मुख्य मंत्री महोदय की अपील के पोस्टर छपवाकर मुख्य स्थानों पर लगवाये गये तथा जन–जन तक संदेश पहुचाने के हेतू मुख्य मंत्री महोदय की अपील को विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया गया। इसके अतिरिक्त मण्ड़ल में आम जनता को वन्य जीवों के संरक्षण व वन्य जीवों से होने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए पैम्पलैटस एवं स्टीकर्स इत्यादि विततिर किये गये तथा लोगो को वन्य जीवों के संरक्षण में सरकार का सहयोग करने की अपील की गई। किसान भाईयों से भी अनुरोध किया गया कि फसलों पर कीटनाशको का कम कम प्रयोग करें ताकि वन्य जीवों को कोई नुकशान न हो। किसान भाईयो को बताया गया कि धरा पर प्राकृतिक सन्तुलन कायम रखने के लिए हर हालत में वन्य जीवों का संरक्षण व संवर्द्धन करना है। ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्या है। वन्य जीवों की संख्या मे आई गिरावट बारे तीन प्रमुख कारण हैः– पहला–वास–स्थलों की कमी, दूसरा–पर्यावरण प्रदूषण और तीसरा–वन्य जीवों को अवैध व्यापार। इन कारणो से वन्य जीवों की अनेकों प्रजातियां लुप्त हो चुकी है और कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। प्रकृति में खाद्य–श्रृंखला के ताने–बाने को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक पेड़–पौधे और जीव–जन्तुओं की प्रजातियों का अस्तित्व कायम रहे और इनकी संख्या समुचित अनुपात में रहे। किसान भाईयों से अनुरोध किया कि वे जंगलों मे ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़–पौधे लगाएं तथा वनों की सघनता बढ़ाएं। जंगल में वन्य जीवों के लिए पानी की उचित व्यवस्था करने में विभाग की मदद भी करें। जिससे वन्य जीवों को भोजन और पानी जंगल के अन्दर ही उपलब्ध हो जाए और वह आवासीय क्षेत्रों की तरफ भटक कर ना आए। सभी से अनुरोध किया कि वे वन्य जीवों के संरक्षण व संवर्द्धन का संकल्प लें और ज्यादा से ज्यादा पेड़–पौधे लगाएं ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण और समुचित प्राकृतिक सन्तुलन दे सकें।

वन्य जीव विंग की वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समालोचना

वन विभाग की वन्य जीव विंग का मुख्य उद्‌देश्य वन तथा वन से बाहरी क्षेत्र में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों को लागू करके वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना है। वन्य जीव विंग के अधीन 22 जिले पडते है जिनका नियन्त्रण मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) पंचकूला तथा गुरूग्राम दो परिमण्डल तथा चार वन्य जीव मण्डल पंचकूला, रोहतक, गुरूग्राम व हिसार द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) एवं मुख्य वन्य जीव वार्डन के नेतृत्व में किया। इन सभी जिलों में प्रोटैक्शन कार्य, चिड़ियाघरों एवं हिरण पार्क तथा वन्य जीव विहारों के रख–रखाव में स्टाफ की कमी के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। 01.04.2003 से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में हुए संशोधन से वन्य जीव स्टाफ का कार्य और

जटिल हो गया है। अब बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए नियुक्त क्षेत्रीय स्टाफ/मिनिस्ट्रीयल स्टाफ काफी कम पड़ गया है।

अतः वन्य जीव विंग में प्रतिदिन बढ़ते संरक्षण कार्यों को देखते हुए वन्य जीव संरक्षण अमले को सुदृढ़ करने के लिये अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि वन्य जीव विंग के अधीन सभी 22 जिलों के लिए अतिरिक्त क्षेत्रीय स्टाफ एवं मिनियस्ट्रीयल स्टाफ की मांग विभिन्न मण्डलों व मुख्य कार्यालय के लिए सरकार से की जाये ताकि सरकारी कार्य में कोई बाधा न आये तथा इसे सूचारू रूप से चलाया जा सके। इसके अतिरिक्त राज्य में स्थापित चिड़ियाघरों में वन्य जीवों की समय–समय पर जांच करने के लिए वैटरनरी सर्जन की सहायता से कार्य किया जा रहा है।

चौकसी तथ्यों सम्बन्धित सूचना :

वर्ष 2023–24 में चौकसी विभाग द्वारा कहे जाने पर अथवा विभाग द्वारा स्वयं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये दण्डों की सूचना :–

क्र.स.	दण्ड की किस्म	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद
1	सेवा मुक्त या हटाये गये	शून्य
2	न्यायालय द्वारा दण्डित/सजा देना	शून्य
3	अनिवार्य सेवा निवृति	शून्य
4	त्याग पत्र	शून्य
5	प्रत्यावर्ती तथा पदावन्त	शून्य
6	अनुमोदित सेवा समाप्त करना	शून्य
7	पैंशन में कमी करना	शून्य
8	वेतनमान में कमी करना	शून्य
9	वरिष्ठता में कमी करना	शून्य
10	पदौन्नति पर रोक लगाना	शून्य
11	बोनस वेतन/उपदान जब्त करना	शून्य
12	जुर्माना करना	शून्य
13	वेतन वृद्धि पर रोक लगाना	शून्य

वन मण्डल अधिकारी, मुख्यालय, वन्य जीव
कृते : प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
हरियाणा, पंचकुला।

वन फार्म सख्यां – 23

वर्ष 2023–24 के दौरान निष्क्रिय व सक्रिय स्टाक का मूल्य दर्शाते हुए विवरण पत्रा

क्र. स.	कार्यालय का नाम	वर्ष के आरम्भ में		वर्ष के अंत में		वर्ष के हक में		वर्ष के विरूद्ध	
		सख्यां	मूल्य	सख्यां	मूल्य	सख्यां	मूल्य	सख्यां	मूल्य
1	प्र0मु0व0सं0 (व0जी0) एवं मु0व0प्रा0वा0, हरियाणा	227	3087212	237	3860240	14	927388	4	154360
2.	मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), पंचकूला	-	-	-	-	-		-	
3	मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरूग्राम	-	-	-	-	-		-	
4	उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, पंचकूला	1169	6547761	1173	6276252	4	55876	0	327385
5	मण्डल कार्यालय, रोहतक	673	4608540	724	4604477	59	1048453	8	1052516
6	मण्डल कार्यालय, गुरूग्राम	992	9983960	1084	10554715	956	2634605	128	3205360
7	मण्डल कार्यालय, हिसार	3555	6336609	3572	5466679	19	191402	2	1061331

वन मण्डल अधिकारी, मुख्यालय, वन्य जीव
कृते : प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
हरियाणा, पंचकुला।

भाग दो–अध्याय पांच

वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त राजस्व तथा व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से रहा हैं

वन फार्म सख्यां – 24

वर्ष 2023–24 मे प्राप्त राजस्व का सारांश

(रूपये में)

क0 सं0	उप शीर्ष	0406–वन	0435–भू–संरक्षण	योग
1.	मुख्य वन उपज	–	–	–
2.	लघु वन उपज	–	–	–
3.	पौधे बेचना	–	–	–
4.	अन्य राजस्व	–	–	–
5.	कम्पनसेट्री राजस्व	–	–	–
6.	कम्पनसैशन	–	–	–
	कुल प्राप्ति	–	–	–
7.	कटौती / वापसी	–	–	–
	प्राप्त राजस्व	–	–	–
	वन्य प्राणी विंग	–	–	–
8.	अन्य राजस्व	7996000	–	
9.	कम्पनसैशन	446000	–	
	कुल प्राप्ति	8442000	–	8442000
	प्राप्त राजस्व	8442000	–	8442000

वन मण्डल अधिकारी, मुख्यालय, वन्य जीव
कृते : प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
हरियाणा, पंचकुला।

वन फार्म सख्यां – 24 ए

वर्ष 2023–24 मे मुख्य शीर्ष 2406 वन के अधीन व्यय का सारांश

क0सं0	उप शीर्ष	प्लान (रूपये में)	योग (रूपये में)
1.	निर्देशन तथा प्रशासन	–	–
2.	शिक्षण तथा प्रशिक्षण	–	–
3.	वन संरक्षण तथा भू संरक्षण के अन्तर्गत पौधारोपण	–	–
4.	वन संसाधन सर्वेक्षण	–	–
5.	पौधारोपण	–	–
6.	वन उपज की निकासी	–	–
7.	संचार तथ भवन	–	–
8.	अन्य व्यय	–	–
9.	अन्य चार्जिज	–	–
योग (फोरेस्ट्री)		–	–
10.	वन्य प्राणी विंग निर्देशन तथा प्रशासन	207810374	207810374
11.	टोटल वर्क्स पर व्यय	86589626	86589626
	कुल योग (वन्य प्राणी विंग)	294400000	294400000

वन मण्डल अधिकारी, मुख्यालय, वन्य जीव
कृते : प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
हरियाणा, पंचकुला।

वन फार्म सख्यां – 24 बी

वर्ष 2023–24 मे मुख्य शीर्ष 2402 के अधीन व्यय का सारांश

क0सं0	उप शीर्ष	प्लान (रूपये में)	योग (रूपये में)
1.	निर्देशन तथा प्रशासन	–	–
2.	पौधारोपण	–	–
3.	अन्य	–	–
	योग	–	–

व्यय

विवरण	2406–वन		2402	योग (रूपये में)
	वन्य प्राणी विंग (रूपये में)	फौरेस्ट्री विंग (रूपये में)	भूमि संरक्षण (रूपये में)	
प्लान	294400000	–	–	294400000
योग	294400000	–	–	294400000

वन मण्डल अधिकारी, मुख्यालय, वन्य जीव
कृते : प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
हरियाणा, पंचकुला।

वन फार्म सख्यां–12

वर्ष 2023–24 के दौरान संचार और भवन दर्शाने वाला विवरण पत्र

वर्ष के दौरान नये कार्यो पर खर्च							वर्ष के दौरान की गई मुरम्मते				
क0 सं0	कार्यालय का नाम	मुख्यालय भवनों पर	विश्राम गृहों पर	अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए भवनों पर	अन्य भवनो पर	किया गया कुल खर्च	मुख्यालय भवनों पर	विश्राम गृहों पर	अधीनस्थ कर्मचारियो के लिए भवनो पर	अन्य भवनों पर	किया गया कुल खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्र.मु0व.सं0 (व0जी0), हरियाणा, पंचकूला।	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	मु.व.सं. (व.जी.), पंचकूला	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	मु.व.सं. (व.जी.), गुरूग्राम	–	–	_	–	–	–	–	–	–	–
4	उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, पंचकूला	–	–	–	–	–	122843	–	593740	304387	1020970
5	मण्डल कार्यालय, रोहतक	125192	38700	–	133065	296957	–	–	–	–	–
6	मण्डल कार्यालय, गुरूग्राम	199000	–	–	–	199000	111000	–	62584	26135	199719
7	मण्डल कार्यालय, हिसार	–	–	–	–	–	100000	–	357791	–	457791
	कुल जोड़	3190788	–	–	–	3190788	–	–	–	–	

वन मण्डल अधिकारी, मुख्यालय, वन्य जीव
कृते : प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
हरियाणा, पंचकुला।

वन फार्म सख्यां–26

वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त राजस्व तथा बकाया राजस्व

कार्यालय का नाम	वर्ष के आरम्भ में बकाया राजस्व	वर्ष के दौरान ब्रिकी और अन्य	जोड	वर्ष के दौरान	वर्ष के अन्त में
				राजस्व की वसूली	राजस्व की देय बकाया
		राजस्व का मूल्य			
प्र.मु0व.सं0 (व.प्रा.), हरियाणा, पंचकूला।	–	119650	119650	119650	–
मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), पंचकूला	–	–	–	–	–
मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), गुरूग्राम	–	–	–	–	–
उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, पंचकूला	–	1864520	1864520	1864520	–
मण्डल कार्यालय, रोहतक	–	4104605	4104605	4104605	–
मण्डल कार्यालय, गुरूग्राम	–	781805	781805	781805	–
मण्डल कार्यालय, हिसार	–	1571375	1571375	1571375	–
कुल जोड		**8442055.00**	**8442055.00**	**8442055.00**	

वन मण्डल अधिकारी, मुख्यालय, वन्य जीव
कृते : प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
हरियाणा, पंचकुला।

वन फार्म संख्या–27 (रूपये में)

ठेकेदार तथा वितरकों के सम्बन्ध में बकाया और देयतायें वर्ष 2023–24

विभागीय देनदार								
कार्यालय का नाम	अवशेष	नकद वसूलियां और वर्ष के दौरान किये गए कार्य का मूल्य	जोड	अवशेष	विभागीय लेनदार वर्ष के दौरान की गई अदायगी	जोड	देय बकाया	
							विभाग का	विभाग द्वारा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्र0मु0व0प्रा0 एवं मुख्य वन्य जीव वार्डन, हरियाणा, पंचकूला।	–	21327159	21327159	–	21327159	21327159	–	–
मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) पंचकूला।	–	–	–	–	–	–	–	–
मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरूग्राम	–	–	–	–	–	–	–	–
उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,पंचकूला	–	90367797	90367797	–	90367797	90367797	–	–
मण्डल कार्यालय, रोहतक	–	92129663	92129663	–	92129663	92129663	–	–
मण्डल कार्यालय, गुरूग्राम	–	42654996	42654996	–	42654996	42654996	–	–
मण्डल कार्यालय, हिसार	–	47920385	47920385	–	47920385	47920385	–	–

वन मण्डल अधिकारी, मुख्यालय, वन्य जीव
कृते : प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
हरियाणा, पंचकुला।